



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट  
भाग-4, खण्ड (क)  
(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 26 जून, 2020

आषाढ़ 5, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन  
चिकित्सा अनुभाग-5

संख्या 1344/पांच-5-2020  
लखनऊ, 26 जून, 2020

अधिसूचना

सा०पी०नि०-34

महामारी अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 3 सन् 1897) की धारा 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 विनियमावली, 2020 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित विनियमावली बनाती हैं :-

उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 (तृतीय संशोधन) विनियमावली, 2020

1-यह विनियमावली उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 (तृतीय संशोधन) संक्षिप्त नाम विनियमावली, 2020 कही जाएगी।

2-उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 विनियमावली, 2020, जिसे आगे उक्त विनियम 17 का विनियमावली कहा गया है, में नीचे स्तम्भ-1 में दिए गए विद्यमान विनियम 17 के संशोधन स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया विनियम रख दिया जाएगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1

विद्यमान विनियम

17- यह विनियमावली तत्काल प्रवृत्त होगी और इस अधिसूचना के प्रकाशित किए जाने के दिनांक से 30 जून, 2020 तक या जब तक अग्रतर आदेश नहीं दिए जाते हैं, जो भी पहले हो, के लिए विधिमान्य रहेगी।

स्तम्भ-2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित विनियम

17-यह विनियमावली तत्काल प्रवृत्त होगी और इस अधिसूचना के प्रकाशित किए जाने के दिनांक से 31 अगस्त, 2020 तक या जब तक अग्रतर आदेश नहीं दिए जाते हैं, जो भी पहले हो, के लिए विधिमान्य रहेगी।

आज्ञा से,  
अमित मोहन प्रसाद,  
अपर मुख्य सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1344/V-5-2020, dated June 26, 2020.

No. 1344/V-5-2020

*Dated Lucknow, June 26, 2020*

IN exercise of the powers conferred under section 2 of the Epidemic Diseases Act, 1897 (Act No. 3 of 1897), the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Epidemic Disease, Covid-19 Regulations, 2020.

THE UTTAR PRADESH EPIDEMIC DISEASE COVID-19 (THIRD AMENDMENT)  
REGULATIONS, 2020

Short title

1. These regulations may be called the Uttar Pradesh Epidemic Disease, Covid-19 (Third Amendment) Regulations, 2020.

Amendment of  
regulation 17

2. In the Uttar Pradesh Epidemic Disease, Covid-19 Regulations, 2020, hereinafter referred to as the said regulations for existing regulation 17 setout in column-1 below, the regulation as setout in column-2 shall be *substituted*, namely :-

COLUMN-1

*Existing regulation*

17. These regulations shall come into force, immediately and shall remain valid up to 30<sup>th</sup> June, 2020 or until further orders, whichever is earlier, from the date of publication of this notification.

COLUMN-2

*Regulation as hereby substituted*

17. These regulations shall come into force immediately and shall remain valid up to 31<sup>st</sup> August, 2020 or until further orders, whichever is earlier, from the date of publication of this notification.

By order,  
AMIT MOHAN PRASAD,  
*Apar Mukhya Sachiv.*

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 86 राजपत्र-2020-(179)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 2 सा0 चिकित्सा-2020-(180)-250 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।